

# डिगरी व मुकदमे इब्तादाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाबा दीबानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बाड़मेर) व  
इजलास कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 27/2014

वादीगण:-

1. नरेन्द्र पुत्र शम्भूसिंहजी जाति राजपुत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर राजस्थान
2. अण्णकवर पत्नी शम्भूसिंहजी जाति राजपुत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. शम्भूसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपुत निवासी मोकलसर
2. सुमेरसिंह गोदपुत्र परबतसिंह जाति राजपुत निवासी
3. मुलेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपुत निवासी
4. गजेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपुत निवासी
5. जितेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपुत निवासी
6. सोभाकंवर पत्नी खेतसिंहजी जाति राजपुत निवासी
7. कैलाशकंवर पत्नी जसवन्तसिंहजी जाति राजपुत निवासी  
मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर राजस्थान
8. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मोकलसर
9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

दावा बाबत अधिकार घोषणा, रेकॉर्ड दुरुस्ती, एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : - 21.12.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हाजिर वादीगण व वादीगण अधिवक्ता श्री कैलाशपुरी मिनजानिव मुद्ई व हाजिर प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री पूनमचन्द रामदेव मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर वादीगण का वाद स्वीकार कर हुकम दिया जाता है कि सरहद मौजा महिलावास के खेत खसरा संख्या 578,579,580 रकबा 24.02,30.16 व 00.19 कुल रकबा 55.17 बीघा में वादीगण 1 व 2 का क्रमशः 1/12 -1/12 हिस्सा 04.13, 04.13 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, सरहद मौजा मोकलसर के खेत खसरा संख्या 1389,1904/1475 रकबा क्रमशः 06.10 व 23.05 कुल रकबा 29.15 बीघा में वादीगण 1 व 2 का क्रमशः 1/3-1/3 हिस्सा रकबा क्रमशः 09.18, 09.18 बीघा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के साथ व सरहद मौजा मोकलसर के खेत खसरा संख्या 1474 रकबा 38.18 बीघा में वादीगण 1 व 2 का क्रमशः 1/12-1/12 रकबा क्रमशः 03.04, 03.04 बीघा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के साथ राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा दौराने दावा बेचान कर दिया गया है तो उक्त बेचान वादीगण के हको तक निष्प्रभावी रहेगा। प्रतिवादीगण को इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी पर अपने हक हिस्से से ज्यादा अन्यत्र किसी व्यक्ति को बेचान नहीं करे, तथा वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। तहसीलदार सिवाना आदेशानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद कर रेकॉर्ड दुरुस्ती करे। खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

को जारी की गई।



क्रमांक: वाचक/2021/1806

प्रतिलिपि :


1. भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना को पालनार्थ।

  
(कुसुमलता चौहान)  
सहायक कलक्टर  
(S.D.O) सिवाना

दिनांक



.2020

  
(कुसुमलता चौहान)  
सहायक कलक्टर  
(S.D.O) सिवाना